<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह</u>)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 89ए / 16</u> संस्थापन दिनांक:-22 / 12 / 16 फाईलिंग नं. 4003722016

- 1. भंगी पिता गोपाल, उम्र 45 वर्ष
- 2. मेदा पति चिन्ध्या, उम्र 50 वर्ष
- 3. विमला पिता चिन्ध्या, उम्र 30 वर्ष
- 4. तुरसी पिता चिन्ध्या, उम्र 32 वर्ष
- 5. उर्मिला पिता चिन्ध्या, उम्र 34 वर्ष
- 6. गुन्ता पिता चिन्ध्या, उम्र 36 वर्ष
- 7. सुरेश उर्फ गुड्डू पिता चिन्ध्या, उम्र 38 वर्ष सभी निवासी नरेरा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादी</u>गण

वि रू द्व

- पार्वती पति विपत, उम्र 70 वर्ष निवासी डोडावानी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. पंखी पति भागमल, उम्र 60 वर्ष निवासी रानीडोंगरी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. लक्ष्मीबाई पति नान्हो उर्फ रामदयाल, उम्र 50 वर्ष
- 4. नान्हो उर्फ रामदयाल पिता गोपाल, उम्र 55 वर्ष क. 3 एवं 4 निवासी नरेरा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 27.03.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन कमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

- आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 से 04 एक ही परिवार के हैं। विवादित भूमि ख.नं. 85/2, 240/2, 285/3, 293 / 3 रकबा क्रमशः 0.032, 0.539, 0.085, 0.752 हे. है। उपर्युक्त विवादित भूमि का विभाजन वादी क. 01, वादी क. 02 के पति एवं प्रतिवादी क. 04 के मध्य कर दिया गया था और उसी अनुरूप वे विवादित भूमि पर अपने 1/3 भाग पर काबिज रहे। मूल पुरूष गोपाल की मृत्यु वर्ष 1985 में होने पर उनके स्थान पर वारसाना नामांतरण में वादी क. 01, वादी क. 02 के पति चिन्ध्या एवं प्रतिवादी क. 04 का नाम संयुक्त रूप से आया जो कि वर्ष 2015 तक निरंतर संयुक्त रूप से दर्ज रहा। चुंकि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को पिता गोपाल के द्व ारा विवाह के समय पर्याप्त धन दे दिया गया था इसलिए उन्हें विवादित भूमि में कोई हक एवं हिस्सा नहीं दिया गया। इसी कारण से प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने वारसाना नामांतरण में उनका नाम विवादित भूमि पर न आने पर कोई आपत्ति नहीं की थी परंत वर्ष्ज्ञ 2015–16 में प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने प्रतिवादी क. 04 से मिलकर वादीगण की बंटवारे की विवादित भूमि छलपूर्वक प्राप्त करने के आशय से अपना नाम राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर आदेश दिनांक 14. 07.2016 के द्वारा दर्ज करा लिया एवं बिना वादीगण की जानकारी के विवादित भूमि में से कुछ भाग का विकय दिनांक 12.09.2016 को प्रतिवादी क. 03 के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का विवादित संपत्ति पर कोई भी हक न होने के कारण उनके द्वारा किया गया विक्रय पूर्णतः अवैध है। चूंकि विवादित भूमि पर वादीगण का उनके पिता गोपाल के जीवनकाल से ही स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से प्रतिवादी क. 03 को वादीगण की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप करने से एवं प्रतिवादी क. 03 को क्रय की गयी भूमि का अन्यंथा विक्रय किये जाने से निषेधित किया जाये ।
- 3 प्रतिवादी क. 01 से 04 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रूप से लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को मूल पुरूष गोपाल के द्वारा उनके जीवनकाल में ही विवादित भूमि का विभाजन अपने सभी वारसानों के मध्य कर दिये जाने के कारण 1/5–1/5 अंश प्राप्त हुआ था और वही 1/5–1/5 भाग प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा जो कि उनके हिस्से का था वह प्रतिवादी क. 03 को विधिवत प्रतिफल राशि प्राप्त किये जाने के उपरांत विक्रय किया गया है। विक्रय पत्र पूर्णतः वैध है। चूंकि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा विवादित भूमि में से अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि का विक्रय किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में

न रहने से आवेदन निरस्त किया जावे।

- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

- 5 वादीगण ने अपने आवेदन के माध्यम से यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि का उनके पिता गोपाल ने अपने जीवनकाल में वादी क. 01 भंगी एवं वादी क. 02 के पित चिन्ध्या तथा प्रतिवादी क. 04 नान्हों के मध्य बंटवारा कर दिया था तथा प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को विवाह में पर्याप्त राशि दे दी थी जिस कारण से उन्हें विवादित भूमि पर कोई भी हक एवं हिस्सा नहीं दिया गया। वादीगण ने अपने आवेदन में यह भी लेख किया है कि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने गलत तरीके से अपना नाम विवादित भूमि पर दर्ज करा लिया है। जबिक प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने यह अभिवचन किया है कि उनके पिता गोपाल ने उनके सभी वारसानों के मध्य विभाजन किया था जिसमें प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को भी 1/5–1/5 भाग प्राप्त हुआ था।
- वादीगण के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2016—17 एवं प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा प्रतिवादी क. 03 के पक्ष में किये गये विकय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी क. 03 के पक्ष में किये गये विकय पत्र की सत्यप्रतिलिपि एवं प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के द्वारा तहसील न्यायालय में विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन, उपर्युक्त आवेदन का वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब, उन्हें प्रेषित किये गये नोटिस एवं आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही की आदेश पत्रिकाएं तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 14.07.2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का उनके पिता गोपाल की मृत्यु हो जाने पर फौती नामांतरण में त्रुटिवश नाम छूट जाने के कारण दर्ज किये जाने का आदेश किया गया है।
- 7 वादीगण के द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि पर उनके पिता गोपाल की मृत्यु

उपरांत संयुक्त रूप से नाम दर्ज हुआ हो परंतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तहसीदार के आदेश दिनांक 14.07.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादीगण का एवं प्रतिवादी क. 04 का नाम दर्ज था तथा त्रुटिवश प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का नाम वारसाना नामांतरण में रह गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का नाम विवादित भूमि पर दर्ज किये जाने का आदेश किया गया है।

8 वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 से 04 का नाम दर्ज है। स्पष्टतः विवादित भूमि संयुक्त स्वत्व की भूमि है जिस पर सभी सहस्वामियों का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रथम दृष्ट्या माना जायेगा। यद्यपि वादीगण ने मूल पुरूष गोपाल के जीवनकाल में ही विवादित भूमि के विभाजन हो जाने का अभिवचन किया है परंतु राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है जिस पर प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का भी स्वत्व एवं आधिपत्य माना जायेगा। प्रतिवादी क. 01 एवं 02 द्वारा विवादित भूमि के कुछ भाग का विक्रय प्रतिवादी क. 03 के पक्ष में दिनांक 12.09. 2016 को किया गया है। प्रतिवादी क. 01 एवं 02 को प्रतिवादी क. 03 के पक्ष में विक्रय करने का अधिकार है अथवा नहीं, विवादित भूमि का विधिवत विभाजन हुआ है अथवा नहीं यह सब साक्ष्य की विषयवस्तु है जिसका निराकरण विधिवत साक्ष्य उपरांत किया जा सकता है। चूंकि विवादित भूमि पर वादीगण का नाम स्व. गोपाल की मृत्यु उपरांत से लगातार दर्ज चला आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा के संबंध में वादीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

9 विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व की होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित हो रही है। अतः संपूर्ण विवादित भूमि पर सभी सहस्वामियों का अंश एवं आधिपत्य माना जायेगा। कोई भी सहस्वामी विधिवत विभाजन के पूर्व यह नहीं कह सकता कि भूमि का कोई भी विनिर्दिष्ट भाग उसके हक एवं हिस्से का है। अतः ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 द्वारा विवादित भूमि के जिस भाग का विक्रय किया गया है वह उनके हिस्से व अंश का है। चूंकि वादीगण विवादित भूमि पर मूल पुरूष गोपाल की मृत्यु उपरांत आधिपत्य में चले आ रहे हैं तथा विवादित भूमि के संपूर्ण भाग पर सभी सहस्वामियों का आधिपत्य माना जायेगा तब ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी क. 03 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित नहीं किया जाता है तो निश्चित ही यह वादीगण के लिए अधिक असुविधापूर्ण होगा। साथ ही यदि प्रतिवादी क. 03 को उसके द्वारा विवादित भूमि के क्रय किये गये भू—भाग को विक्रय या अन्यथा अंतरण से निषेधित नहीं किया

जाता है तो निश्चित ही वाद बाहुल्य की संभावना होगी। उपर्युक्त स्थिति प्रतिवादीगण की तुलना में वादीगण के लिए असुविधापूर्ण होगी क्योंकि वादी को उस तृतीय व्यक्ति को भी पक्षकार बनाना होगा या दावा प्रमाणित होने पर उसके विरूद्ध भी वाद लाना होगा। चूंकि प्रतिवादी क. 03 के द्वारा विवादित भूमि का कुछ अंश क्य किया गया है। अतः यदि वादीगण अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहते हैं तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क. 03 को हुई क्षति की पूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूवर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

10 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षिति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. नं. 1 स्वीकार कर प्रतिवादी क. 03 को विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2016 के अनुसार विवादित भूमि ख.नं. 85/2 रकबा 0.080 हे., ख.नं. 240/2 रकबा 1. 349 हे., ख.नं. 285/3 रकबा 0.214 हे., ख.नं. 293/3 रकबा 1.881 हे. भूमि पर प्रकरण के निराकरण तक हस्तक्षेप एवं उसके विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण से निषेधित किया जाता है।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल